भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल
58वीं वाहिनी

(नोटिस)

आप दल सख्यां-230583247 कां/जी.डी.(रिक्रूट) सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री पुनीत राम, ग्राम-थातीपुर, पत्रालय- थातीपुर, तहसील-मोरार, जिला-ग्वालियर(मध्य प्रदेश)-474011 को सूचित किया जाता है कि आप आर.टी.सी. कैरेरा, भा.ति.सी.पुलिस बल(मध्य प्रदेश) में प्रशिक्षणाधीन थे उक्त संस्थान से दिनांक-02.11.2023 (अप्राहन) से बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति से अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित है। आपको आपके सेवा पंजिका/भर्ती दस्तावेजों में अंकित गृह नगर पते के अनुसार आर.टी.सी. करैरा (मध्य प्रदेश) के कार्यालय के ज्ञापन संख्या-8793-95 दिनांक 03.11.2023 एवं ज्ञापन सख्या-8917-19 दिनांक-10.11.2023 के तहत निर्देशित किया गया था कि आप यथाशीघ्र अपनी आमद आर.टी.सी., करैरा, भा.ति.सी.पुलिस बल,पत्रालय-करैरा, जिला-शिवपुरी (मध्य प्रदेश)-47366 में दें, परंतु आपके द्वारा आर.टी.सी., करैरा, भा.ति.सी.पुलिस बल में आमद नहीं दी गई तथा स्वयं की इच्छा से अनुपस्थित चल रहे है। भा०ति०सी०पुलिस बल अधिनियम 1992 की धारा 74 (1) के अंतर्गत आर.टी.सी., करैरा, भा.ति.सी.पुलिस बल के आदेश संख्या-9609 दिनांक-16.12.2023 के तहत एक न्यायिक जाँच समिति का गठन किया गया। न्यायिक जाँच समिति की राय एवं उप महानिरीक्षक, आर.टी.सी., करैरा भा.ति.सी.पुलिस बल की राय के आधार पर यह पाया गया कि आप स्वयं की इच्छा से भा.ति.सी.पुलिस बल में सेवा करने के इच्छुक नहीं है। भा०ति०सी०पुलिस बल अधिनियम 1992 की धारा 74(2) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार एवं उप महानिरीक्षक, आर.टी.सी., करैरा भा.ति.सी.पुलिस बल की संस्तुति के आधार 58वीं वाहिनी के आदेश संख्या-1614-263 दिनांक-23.02.2024 के तहत आपको दिनांक-02.11.2023(अप्राहन) से भगौड़ा घोषित किया गया है, जिसकी प्रति आपको पंजीकृत डाक से भेजी गई है। अब सेनानी, 58वीं वाहिनी, भा०ति०सी०पुलिस बल की राय के अनुसार यह प्रतीत हो रहा है कि आप बल में स्वयं की इच्छा से अनुपस्थित चल रहे है, एवं भा०ति०सी०पुलिस बल में आगे की सेवा करने के इच्छुक नहीं है।

2. अतः अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व आपको एक अवसर प्रदान किया जाता है कि आप इस कारण बताओ नोटिस के जारी होने के एक माह के अन्दर वाहिनी मुख्यालय **58वीं वाहिनी,**भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, पत्रालय-रोईगं, जिला-लोअर दिबांग वैली, राज्य- अरूणाचल प्रदेश-792110 में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या लिखित में अपना पक्ष रखें, अन्यथा आपके विरूद्ध एक तरफा निर्णय ले लिया जायेगा।

सेनानी

58वीं वाहिनी, भा०ति०सी०पुलिस बल

१९११९/११/०१००/२५२५